न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 398 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 अर्जुनराम 2.बनाराम पिसरान हेमाराम 3.खेताराम 4.खरथाराम 5.मुकनाराम 6. मदरूपाराम 7.मूलाराम 8. रूगाराम 9.समेलाराम पिसरान उदाराम जातियान जाट निवासीयान लुणू आगोर तहसील व जिला बाड़मेंर।		1. कमरूदीन पुत्र उम्मेदा जाति मुसलमान निवासी लुणू आगोर तहसील व जिला बाड़मेंर। 2. कैलाशकंवर पत्नी भवानी जाति राजपूत निवासी मनरूपसिंह का पाड़ा चुली तहसील व जिला बाड़मेंर। 3. उमेशकंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी कल्याणपुरा, केलनोर तहसील चौहटन व जिला बाड़मेंर। 4. चनणीदेवी पत्नी देवाराम 5. हेमी पत्नी भगाराम जातियान जाट निवासीयान लुणू आगोर तहसील व जिला बाड़मेंर। 6. तहसीलदार बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 RLR Act.

उपस्थिति :—

1. श्री कैलाश N सारण अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष।
2. श्री अमृत लाल जैन अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01 व 02
3. पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 15.09.2025

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा लुणू आगोर पटवार हल्का चूली तहसील व जिला बाड़मेंर में खसरा संख्या 476 / 166 रकबा 19.2630 हेक्टेयर, खसरा नंबर 477 / 166 रकबा 5.0181 हेक्टेयर, खसरा नंबर 456 / 166 रकबा 8.0937 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 455 / 166 रकबा 8.0937 हेक्टेयर के आये हुए है जो भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी, टांके, लाटा आदि बने हुए हैं। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि विप्रार्थी संख्या 1 कमरदीन व उसकी माता से जरिये अलग अलग पंजीबद्ध बेचान पत्र के खरीद की गई थी तथा इसी अनुसार बेचानकर्ता ने प्रार्थीगण को मौके पर काबिज कर भौतिक कब्जा सुपुर्द किया गया। प्रार्थीगण द्वारा भूमि खरीद के बाद खरीद के अनुसार नये खसरा नम्बर का सर्जन करते हुऐ लट्ठा ट्रेस में अलग अलग तरमीम की गई है जो कि सहीं नहीं की गई, जहां पर प्रार्थीगण को कब्जा सुपुर्द किया वहां पर तरमीम नहीं कर अन्यत्र जगह पर तरमीम कर दी गइ तथा रकबा भी सहीं दर्ज नहीं किया गया है तथा विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भूमि का बेचान करने के बाद वास्तविक रकबे से अधिक भूमि उनके नाम से दर्ज है प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा परिशिष्ट "अ" में दर्शायें बरंग लाल स्थान पर है तथा प्रार्थीगण के खेत की तरमीम परिशिष्ट "अ" अनुसार ही कब्जा चला आ रहा हैं। उक्त समस्त खसरान की नक्शा लट्ठा ट्रेस की वर्तमान तरमीम मौके के अनुसार नहीं होकर अशुद्ध तरमीम होने से खातेदारों के मध्य विवाद होने क कारण यह आवेदन पत्र पेश कर प्रस्तुत किया गया है। अत प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा लुणू आगोर पटवार हल्का चूली तहसील व जिला बाड़मेंर में खसरा संख्या 476 / 166 रकबा 19.2630 हेक्टेयर, खसरा नंबर 477 / 166 रकबा 5.0181 हेक्टेयर, खसरा नंबर 456 / 166 रकबा 8.0937 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 455 / 166 रकबा 8.0937 दुरस्त करवाने का आदेश करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashartha Shekhar
Date: 2025.10.27 13:31:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता उपस्थित, जवाब पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया, जवाब पेश नहीं करने पर अवसर बंद किया गया। उक्त प्रकरण के सबंध में तहसीलदार से मौका व रेकर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

तहसीलदार ने अपने पत्रांक भू.अ./2025/3613 दिनांक 26.08.2025 के द्वारा मौका रिपोर्ट उपलब्ध करवाई। उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम लुणू आगोर के मूल खसरा संख्या 166 का रकबा सेटलमेंट खतौनी के अनुसार 370.04 बीघा था तत्पश्चात खसरा नंबर 166 के खातेदारान द्वारा समय–समय पर भूमि का बेचान करने से व मार्ग हेतू भूमि का समर्पण करने से वर्तमान रेकर्ड के अनुसार खसरा नंबर 476/166 रकबा 116 बीघा, खसरा संख्या 477/166 रकबा 31 बीघा, खसरा संख्या 455/166 रकबा 50 बीघा, खसरा संख्या 456/166 रकबा 50 बीघा, खसरा संख्या 632/454 रकबा 78.10 बीघा, खसरा संख्या 630/454 रकबा 2.12 बीघा, खसरा संख्या 636/631 रकबा 09 बीघा, खसरा संख्या 635/631 रकबा 21.02 बीघा, खसरा संख्या 627/166 रकबा 09 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। मूल खसरा नंबर 166 में से नवसृजित खसरा नंबरो के लट्ठा ट्रेस नक्शा व भू–नक्शा मे जो तरमीम की गई है वा राजस्व रेकर्ड में रकबा अनुसार नहीं करके कम–ज्यादा की गई है, खसरा नंबर 476 का रकबा 119 बीघा है जबकि नक्शा में तरमीम 85.10 बीघा की गई है खसरा नंबर 456/166 का रकबा 50 बीघा है जबकि नक्शा में तरमीम 32.08 बीघा की गई है खसरा नंबर 455/156 का रकबा 50 बीघा है जबकि नक्शा में तरमीम 49.09 बीघा की गई है, खसरा नंबर 632/454 रकबा 78.10 बीघा है जबकि लट्ठा नक्शा में तरमीम 116.15 बीघा की गई है, खसरा नंबर 636/631 का रकबा 09 बीघा है जबकि नक्शा में तरमीम 13 बीघा की गई है, खसरा नंबर 635/631 का रकबा 21.02 बीघा है जबकि नक्शा में तरमीम 30.09 बीघा की गई है। वर्तमान में भू–नक्शा में उक्त खसरा नंबरो की तरमीम संलग्न नक्शा प्रारूप "अ" के अनुसार है जो कि गलत हैं मौके पर कब्जा काश्त व जमाबंदी में अंकित रकबा अनुसार सही तरमीम संलग्न नक्शा प्रारूप "ब" के अनुसार हैं। संलग्न प्रारूप "ब" के अनुसार तरमीम करवाने के लिए प्रार्थी, विप्रार्थी व अन्य सभी पक्षकार सहमत हैं। प्रारूप "ब" के अनुसार तरमीम दुरस्त के लिए वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में अंकित खसरा संख्या 636/631 रकबा 9.00 बीघा व खातेदार करमदीन पुत्र उम्मेदा जाति मुसलमान के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में खसरा नंबर 636/631 का रकबा 10.10 बीघा, खातेदार अर्जुनराम पुत्र हेमाराम, खेता, खरता, मुकना पिसरान उदा जाति जाट जो कि वर्तमान खसरा नंबर 456/166 के खातेदार है। खसरा नंबर 636/631 का रकबा व खातेदार के नाम रेकर्ड में परिवर्तन हेतु प्रस्तावित हैं। चूंकि खसरा नंबर 456/166 का राजस्व रेकर्ड अनुसार रकबा 50 बीघा है लेकिन खसरा नंबर456/166 के खातेदारों को तरमीम दुरस्ती के प्रस्ताव अनुसार खसरा नंबर 636/631 रकबा 10.10 बीघा मिलेगा। इसलिए खसरा नंबर 456/166 का रकबा 50 बीघा के स्थान पर 39.10 बीघा किया जाना प्रस्तावित हैं।, संलग्न नक्शा प्रारूप "ब" के अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित करने पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा नंबर 632/454 का रकबा 78.10 बीघा खातेदार करमीदन पुत्र उम्मेदा वगैरा के स्थान पर खसरा नंबर 632/464 का रकबा 78.10 बीघा के स्थान पर 87.10 बीघा रकबा खातेदार करमदीन पुत्र उम्मेदा वगैरा किया जाना प्रस्तावित हैं अतः खसरा नंबर 476/166, 477/166, 455/166, 456/166, 636/631, 632/454, 630/454, 635/631 की तरमीम भू नक्शा में संलग्न नक्शा प्रारूप "ब" के अनुसार की जानी प्रस्तावित है इसी प्रकार जमाबंदी में 636/631 रकबा 9.00 बीघा के स्थान पर 10.10 बीघा, खसरा नंबर 456/166 का राजस्व रेकर्ड अनुसार रकबा 50 बीघा के स्थान पर 39.10 बीघा, खसरा नंबर 632/454 का रकबा 78.10 बीघा के स्थान पर 87.10 बीघा किया जाना प्रस्तावित हैं व खसरा नंबर 636/631 के वर्तमान खातेदार करमदीन पुत्र उम्मेदा के स्थान पर अर्जुनराम पुत्र हेमाराम, खेता, खरता, मुकना पिसरान उदा जाति जाट किया जाना प्रस्तावित हैं अत मौजा लुणू आगोर पटवार हल्का चूली तहसील व जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 476/166 रकबा 19.2630 हेक्टेयर, खसरा नंबर 477/166 रकबा 5.0181 हेक्टेयर, खसरा नंबर 456/166 रकबा 8.0937 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 455/166 रकबा 8.0937 हेक्टेयर की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ''ब'' के अुनसार मौजा लुणू आगोर पटवार हल्का चूली तहसील व जिला बाड़मेर खसरा संख्या 636/631 रकबा 9.00 बीघा के स्थान पर रकबा 10.10 बीघा, खसरा नंबर 456/166 रकबा 50 बीघा के स्थान पर 39.10 बीघा, खसरा नंबर 632/454 का रकबा 78.10 बीघा के स्थान पर 87.10, खसरा नंबर 636/631 के वर्तमान खातेदार करमदीन पुत्र उम्मेदा के स्थान पर अर्जुनराम पुत्र

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.27 13:31:57 IST
Reason: SelfAttested

हेमाराम, खेता, खरता, मुकना पिसरा उदा जाति जाट किया जावे उक्त रकबा कम ज्यादा हाने से कुल रकबा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हैं।

वकील प्रार्थी व विप्रार्थी 01 व 02 की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बाड़मेर की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार मौजा लुणू आगोर पटवार हल्का चूली तहसील व जिला बाड़मेंर में खसरा संख्या 476/166 रकबा 19.2630 हेक्टेयर, खसरा नंबर 477/166 रकबा 5.0181 हेक्टेयर, खसरा नंबर 456/166 रकबा 8.0937 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 455/166 रकबा 8.0937 हेक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार बाड़मेर की रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ''ब'' के अनुसार दुरस्त करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2075–2078, भू–नक्शा का अवलोकन किया गया तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं संलग्न परिशिष्टों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौजा लुणू आगोर पटवार हल्का चूली तहसील व जिला बाड़मेंर में खसरा संख्या 476/166 रकबा 19.2630 हेक्टेयर, खसरा नंबर 477/166 रकबा 5.0181 हेक्टेयर, खसरा नंबर 456/166 रकबा 8.0937 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 455/166 रकबा 8.0937 हेक्टेयर भूमि की राजस्व नक्शा लट्ठा ट्रेस की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त से भिन्न है। खातेदारो की सहमति, मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति अनुसार प्रस्तावित तरमीम का परिशिष्ठ ''ब'' बनाया गया है, जिसके अनुसार वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में अंकित खसरा संख्या मौजा लुणू आगोर पटवार हल्का चूली तहसील व जिला बाड़मेंर में खसरा संख्या 476/166 रकबा 19.2630 हेक्टेयर, खसरा नंबर 477/166 रकबा 5.0181 हेक्टेयर, खसरा नंबर 456/166 रकबा 8.0937 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 455/166 रकबा 8.0937 हेक्टेयर की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ ''ब'' के अुनसार मौजा लुणू आगोर पटवार हल्का चूली तहसील व जिला बाड़मेंर खसरा संख्या 636/631 रकबा 9.00 बीघा के स्थान पर रकबा 10.10 बीघा, खसरा नंबर 456/166 रकबा 50 बीघा के स्थान पर 39.10 बीघा, खसरा नंबर 632/454 का रकबा 78.10 बीघा के स्थान पर 87.10, खसरा नंबर 636/631 के वर्तमान खातेदार करमदीन पुत्र उम्मेदा के स्थान पर अर्जुनराम पुत्र हेमाराम, खेता, खरता, मुकना पिसरा उदा जाति जाट किया जाना उचित प्रतीत होता है। खातेदार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपनी रिपोर्ट में वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में संलग्न प्रारूप ''अ'' के अनुसार है उक्त तरमीम मौके पर कब्जा काश्त संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार होने से दुरस्त करना उचित प्रकट है। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर मौजा लुणू आगोर पटवार हल्का चूली तहसील व जिला बाड़मेंर में खसरा संख्या 476/166 रकबा 19.2630 हेक्टेयर, खसरा नंबर 477/166 रकबा 5.0181 हेक्टेयर, खसरा नंबर 456/166 रकबा 8.0937 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 455/166 रकबा 8.0937 हेक्टेयर की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ ''ब'' के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.27 13:31:57 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए मौजा लुणू आगोर पटवार हल्का चूली तहसील व जिला बाड़मेंर में खसरा संख्या 476/166 रकबा 19.2630 हेक्टेयर, खसरा नंबर 477/166 रकबा 5.0181 हेक्टेयर, खसरा नंबर 456/166 रकबा 8.0937

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

हेक्टेयर, खसरा नम्बर 455/166 रकबा 8.0937 हेक्टेयर की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ ''ब'' के अुनसार मौजा लुणू आगोर पटवार हल्का चूली तहसील व जिला बाड़मेंर खसरा संख्या 636/631 रकबा 9.00 बीघा के स्थान पर रकबा 10.10 बीघा, खसरा नंबर 456/166 रकबा 50 बीघा के स्थान पर 39.10 बीघा, खसरा नंबर 632/454 का रकबा 78.10 बीघा के स्थान पर 87.10, खसरा नंबर 636/631 के वर्तमान खातेदार करमदीन पुत्र उम्मेदा के स्थान पर अर्जुनराम पुत्र हेमाराम, खेता, खरता, मुकना पिसरा उदा जाति जाट किया जाना सुनिश्चित कर राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ ''ब'' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 15.09.2025 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.27 13:31:57 IST
Reason: SelfAttested